न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 30/18 दावा **निर्णय दिनांक** 13/2/19

बउनवान

1. हरिनारायण पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 वर्ष ।
2. जसोदाबाई उम्र 66 वर्ष पत्नी रामचन्द्र जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र कान्हा।
2. दिलराज पुत्री रामचन्द्र पत्नी नरेन्द्र।
3. सुनीता पुत्री रामचन्द्र पत्नी मनोज।
4. रेखा पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगदीश जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
वादीगण की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादीगण 01 लगायात 04 की ओर से एडवोकेट संजय सिंह।
प्रतिवादी क्रम 05 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 है0, खसरा नबंर 158 की 0.01 है0, खसरा नबंर 160 की 3.77 है0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 187 की 0.01 है0, खसरा नबंर 188 की 2.71 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, व खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इस प्रकार कुल किता 11 की 10.28 है0, भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के दादा श्री कान्हा पुत्र कालू जाति धाकड निवासी रूपाहेडा के नाम दर्ज रही है, श्री कान्हा का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्वर्गवास के उपरान्त उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में उनके पुत्र भैरूलाल , रामचन्द्र व पत्नी कल्याणी के नाम दर्ज हुई, उक्त कृषि भूमि में से कल्याणीबाई ने उनके हिस्से की रिलीज डीड उनके पुत्रों भैरूलाल व रामचन्द्र के पक्ष में करवा दी, श्री कान्हा के दोनो पुत्रों भैरूलाल व रामचन्द्र के मध्य उक्त कृषि भूमि का विभाजन होने के उपरान्त श्री भैरूलाल जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी नबंर 01 के पक्ष में खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की 1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है, उक्त कृषि भूमियॉ पैतृक कृषि भूमिया है,

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

जिनमें वादीक्रम 01 व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का जन्म से तथा वादी नबंर 02 का प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी होने से अधिकार है। उक्त कृषि भूमियों में वादीक्रम 01 व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 का सहदायिक होने से तथा वादी क्रम 02 का प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी होने से इन्च भूमि में हक व हिसा है। वादीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि में अपने हक व हिस्से अनुसार शांति पूर्व उपयोग उपभोग में है, वादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

स्व0 कान्हा

भैरूलाल पुत्र | रामचन्द्र पुत्र | कल्याणी पत्नी

हरिनारायण पुत्र | दिलराज पुत्र | सुनीता पुत्री | रेखा पुत्री | जसोदाबाई पत्नी

यह कि वादीगण की जानकारी में आया है कि प्रतिवादी क्रम 01 राजस्व में नाम मात्र दर्ज होने का फायदा उठाने की नियत से उक्त कृषि भूमियों को गुपचुप तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादी क्रम 01 का कोई अधिकार नंही है, क्योंकि उक्त कृषि भूमियां पैतृक कृशि भूमियां रही है, जिनमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 का प्रतिवादी क्रम 01 के साथ हक व हिस्सा है। प्रतिवादी क्रम 01 अपने कृत्य से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 जो कि प्रतिवादी क्रम 01 के क्रमशं पुत्र व पुत्रियां है, तथा वादीनबंर 02 जो कि प्रतिवादी नबंर 01 की पत्नी है, को उनके हक एवं हिस्से से महरूम करने को तत्पर है , जिसको रोकने के लिये वादीगण के पास माननीय न्यायालय की भारण में आने के अतिरिक्त कोई विकल्प भोश नंही रहा है, प्रतिवादी क्रम 01 के द्वारा किये जा रहे गुपचुप प्रयासों से वादीगण के लिय यह आव यक हो गया है, कि वे प्रतिवादी क्रम 01 के साथ उक्त कृशि भूमियों में अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लेवें। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निशेधाज्ञा की सहायताए चाहने के लिये वाद प्रस्तुत करें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वादीगण द्वारा पुनः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की 1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 का नाम खाते में दर्ज करते हुये राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये किया जावे।

, दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 द्वारा दिनांक 16.08.2018 को जर्ये एडवोकेट उपस्थित दी। साथ ही जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद में अंकित मद नबंर 01 लगायत 06 को स्वीकर कर निवेदन किया कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादीक्रम 02 लगायत 04 को ग्राम रूपाहेडा पटवार हल्का झालरी तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की

उप खण्ड अधिकारी

1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जावे, उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का नाम खाते में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किये जाने वप्रतिवादी नबंर 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाने में में हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नंही है। साथ ही तहसीलदार कनवास द्वारा भी जवाब सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी बंटवारे से कोई राजहित प्रभावित नंही है।

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों संलग्न दस्तावेज, जवाब प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 4 एवं जवाब सरकार का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर इस निष्कर्श पर पहुंचते है कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की 1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाना, उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का नाम खाते में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किये जाने व प्रतिवादी नबंर 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की 1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का नाम खाते में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।
निर्णय आज दिनांक 13/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास
कनवास (कोटा)(राज०)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure vode, appendix"d"I')

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 30/19 दावा **निर्णय दिनांक** 13/9/19

बउनवान

1. हरिनारायण पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 वर्ष ।
2. जसोदाबाई उम्र 66 वर्ष पत्नी रामचन्द्र जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र कान्हा।
2. दिलराज पुत्री रामचन्द्र पत्नी नरेन्द्र।
3. सुनीता पुत्री रामचन्द्र पत्नी मनोज।
4. रेखा पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगदीश जातियान धाकड निवासीगण रूपाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा।
5. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नबंर 30/18 निर्णय दिनांक 13/9/19..........सन् 2018 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अशेक कुमर जैन मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 04 की ओर से एडवोकेट श्री संजय सिंह व प्रतिवादी नबंर 05 पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 02 लगायत 04 को ग्राम रूपाहेडा पटवार मण्डल झालरी तहसील कनवास के खसरा नबंर 148 की 1.80 है0, खसरा नबंर 149 की 0.01 है0, खसरा नबंर 150 की 1.63 हे0, खसरा नबंर 161 की 0.18 है0, खसरा नबंर 162 की 0.08 है0, खसरा नबंर 812/188 उत्तर की 1.36 है0, खसरा नबंर 546 की 0.04 है0, खसरा नबंर 601 की 0.04 है0, इसा प्रकार कुल किता 08 की 5.14 है0, कृषि भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 के साथ सम्भाग में खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में प्रतिवादी नबंर 01 के साथ वादीगण व प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का नाम खाते में दर्ज करते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त खाते में रहन यथावत रहेगा। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ....x....मुबलिग ....x....बाबत ....x.... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ....x....फसीदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें। बसबंत मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख ....13...माह ....9 सि.2019...सन् को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
कनवास जिला कोटा (राज०)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	-		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	-		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीश कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
.बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुरफर्रिक			मीजान		
मीजान					

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)